बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषयः— औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 से अच्छादित इकाइयों को एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 ज्ञापांक—1162, दिनांक—15.07.2006 द्वारा लागू किया गया था तथा यह नीति दिनांक—01.04.2006 से प्रारम्भ होकर दिनांक—30.06.2011 तक प्रभावी थी।

उक्त नीति की Post Production संबंधी कंडिका—2 के उप कंडिका—vi के अन्तर्गत वैट की प्रतिपूर्ति की सुविधा/प्रोत्साहन में नई इकाईयों के लिए सरकार के खाते में जमा कि गयी स्वीकृत वैट की राशि के विरूद्ध 80 प्रतिशत प्रतिपूर्ति सभी श्रेणी के उद्योगों को 10 वर्ष के अवधि के लिये करने का प्रावधान किया गया है।

ज्ञातव्य हो कि दिनांक—01.07.2017 से कर की वैट प्रणाली के स्थान पर जी0एस0टी0 प्रणाली लागू की गई है।

औद्योगिक नीति के तहत इकाईयों को एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति हेतु संकल्प सं0—1229, दिनांक—15.06.2021 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 एवं औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 से आच्छादित इकाईयों से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया का उल्लेख है परन्तु एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति हेतु निर्गत संकल्प सं0—108, दिनांक—20.01.2020 में केवल बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 एवं औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 से आच्छादित इकाईयों को प्रतिपूर्ति करने का उल्लेख रहने के कारण औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 से आच्छादित इकाईयों को एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति सम्भव नहीं हो पा रही है।

उपरोक्त के आलोक में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 से आच्छादित इकाईयों को एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति हेतु दिनांक—18.09.2023 को अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद सचिवालय की बैठक में मामले को रखा गया, जिसपर राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के आगामी बैठक में निर्णय हेतु मामले को रखने की अनुशंसा की गई। विकास आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक—10.11.2023 को सम्पन्न राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की 50वी बैठक मे उक्त

मामले को रखा गया जिसपर पर्षद द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त मामले पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

2. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 से आच्छादित अर्हता प्राप्त इकाईयों को एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति किया जा सकेगा, बशर्ते :–

(क) संबंधित इकाई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 की प्रभावी अवधि के दौरान या औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के प्रारम्भ होने के पश्चात अभ्यावेदन देकर औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 से आच्छादित करने के अनुरोध के पश्चात अनुरोधित तिथि तक उत्पादन में आयी हो।

(ख) संबंधित इकाई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के अन्य सभी अर्हताएँ रखती हो।

(ग) औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 से आच्छादित अर्हता प्राप्त उद्योग को एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति उद्योग विभाग के संकल्प सं0–108, दिनांक–20.01.2020 में वर्णित शर्तों के अधीन होगी।

3. प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक–13.02.2025 को मद सं0–41 के रूप में अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(बन्दना प्रेयषी)
सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–......................../ पटना, दिनांक–..................................
SIPB/SGST 2006 Policy/263/2024

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 1000 प्रतियाँ मुद्रित कर विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

ह0/–
(बन्दना प्रेयषी)
सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–......................../ पटना, दिनांक–..................................
SIPB/SGST 2006 Policy/263/2024

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(बन्दना प्रेयषी)
सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः—......................./ पटना, दिनांक—.................................

SIPB/SGST 2006 Policy/263/2024

प्रतिलिपिः—सभी विभागाध्यक्ष/उद्योग विभाग के सभी निगम/प्राधिकार/मंत्री, उद्योग विभाग के आप्त सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/सभी जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
(बन्दना प्रेयषी)
सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः—......................./ पटना, दिनांक—.................................

SIPB/SGST 2006 Policy/263/2024

प्रतिलिपिः—सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निदेशक, एम0एस0एम0ई0 डी0आई0, पाटलिपुत्र, पटना/मुजफ्फरपुर/मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
(बन्दना प्रेयषी)
सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः—......................./ पटना, दिनांक—.................................

SIPB/SGST 2006 Policy/263/2024

प्रतिलिपि—मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/—
(बन्दना प्रेयषी)
सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः—SIPB/555/ पटना, दिनांक—19/02/25

SIPB/SGST 2006 Policy/263/2024

प्रतिलिपि—आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/2/2025
(बन्दना प्रेयषी)
सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।